(82)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : आर0के0मिश्रा,
सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निग0/सीधी/भू0रा0/2017/3026 विरूद्ध आदेश दिनांक 14-08-2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 276/अ-74/2016-17

---

1 देवेन्द्रमणि पाण्डेय
2 रावेन्द्रमणि पाण्डेय
3 नरेन्द्रमणि पाण्डेय
तीनों के पिता अवधकिशोर पाण्डेय
निवासीगण रमकुडवा, तहसील चुरहट, जिला-सीधी
(म0प्र0) --- आवेदकगण

विरूद्ध

1 जमुना प्रसाद गुप्ता तनय सीताराम गुप्ता
निवासी ग्राम तहसील चुरहट, जिला-सीधी
2 म0प्र0शासन

---अनावेदकगण

---

श्री संतोष मिश्रा, अधिवक्ता - आवेदकगण
अनावेदक क्र0-1 एक-पक्षीय ।

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 23/7/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, चुरहट, जिला-सीधी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-08-17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक देवेन्दमणि द्वारा अपर कलेक्टर सीधी के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत रमकुडवा की आराजी क्र0 20,21,24,91 एवं 92 के भूमि अभिलेख में सुधार किया जावे । अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार चुरहट से प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने का आदेश दिया गया । तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन मंगाया जाकर प्रतिवेदित किया से आराजी क्रं0 19/0.045, 20/0.219, 21/0.194, 24/0.441, 22/0.109, 23/0.101, 73/0.016, 75/0.020, 76/0.085, 91/1.623, 92/0.312, कुल किता 11 योग रकबा 3.165, से निर्मित नये आराजी क्रं0 22/0.03, 28/0.22, 29/0.02, 32/0.34, 170/0.01, 171/0.01, 175/0.01, 176/00.02, 177/0.07, 186/0.83, 164/0.90, 165/0.02, 23/2/0.09, 24/2/0.10, 30/0.01, 31/2/0.12, 27/2/0.14, 183/2/0.12 कुल किता 19 योग रकबा 3.16 हे0 का आवेदकगण के नाम बन्दोबस्त त्रुटि सुधार हेतु प्रस्तावित किया गया । अपर कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 89 के तहत उक्त त्रुटि सुधार हेतु प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी चुरहट की ओर इस निर्देश के साथ भेजा गया कि बंदोबस्त के पूर्व एवं बंदोबस्त के बाद निर्मित नक्शे का मिलान करते हुए विधि संगत आदेश पारित करें । उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रं0 276/अ-74/2016-17 में दिनांक 14-08-17 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के सुधार आवेदन को खारिज किया गया । आवेदक द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये उनके द्वारा लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये । उनका मुख्य तर्क है कि ग्राम रमकुइवा, तहसील चुरहट के पुराना भूमि नं0 19, 20, 21, 22, 23, 24, 75, 76, 91, 92 आवेदक की पुस्तैनी पैत्रिक भूमियां है जिनमें से भूमि नं0 19, 20, 21, 22, 28, 29, 32, 170, 171, 175, 176, 177, 186, 164, 165 हाल बंदोबस्त में त्याग किये गये जिसमें से कुल रकवा 3.165 हे0 रकवा के स्थान पर 2.59 हे0 यानी 1.43 ए0 रकवा बिना किसी कारण के कम कर दिया गया व पडोसी गांव सर्रा से बिना किसी पुराने नम्बर का उल्लेख किये रिनंबरिंग सूची में त्रुटिवश नये नंबर 23, 24, 30, 31, 27, 183 खसरा व नक्शा ग्राम रमकुडवा में सरकारी दर्ज कर दिया । अपर कलेक्टर सीधी द्वारा प्रकरण इस निर्देश के साथ भेजा कि उपखण्ड अधिकारी चुरहट प्रश्नाधीन भुमियों के संबंध में बन्दोबस्त के पूर्व एवं बंदोबस्त के बाद निर्मित नक्शे का मिलान कर आदेश पारित करें। किंतु उनके द्वारा बगैर निर्देशों का पालन किये अंतिम तर्क का सुना जाना लिखकर प्रकरण में आदेश हेतु तारीख 22-12-16 नियत कर दी, तत्पश्चात उक्त दिनांक को भी कोई आदेश पारित नहीं किया जाकर आवेदक का पक्ष सुने बिना प्रस्तावित सुधार, प्रस्ताव तुलनात्मक पत्रक संलग्न नक्शा बावत जांच प्रतिवेदन मंगाने का आदेश करते हुए प्रकरण में पेशी दिनांक 17-12-16 नियत कर दी और उसके पश्चात

राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने की स्थिति में बगैर आवेदक को सुनवाई का मौका दिये 7 माह पश्चात दिनांक 14-08-17 को आलेच्य आदेश पारित कर दिया गया । अतः उन्होंने निवेदन किया कि ऐसा आदेश अवैध, अनुचित एवं अधिकारितारहित होकर निरस्ती योग्य है आदेश है ।

अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, वह एक-पक्षीय रहे । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया तथा आवेदक के तर्को पर विचार किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 15-12-16 को प्रकरण में तर्क सुने गये तथा आदेश हेतु दिनांक 22-12-16 नियत की गई । दिनांक 22-12-16 को पक्षकारों की अनुपस्थिति में तहसीलदार से पुनः प्रतिवेदन मंगाये जाने का आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक से 7 माह के पश्चात दिनांक 07-07-17 को प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात उभय-पक्ष को प्रतिवेदन के संबंध में सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक 14-08-17 को आदेश पारित किया गया है, ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है तथा स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक के स्वत्व के संबंध में रिकार्ड से विवेचना करनी चाहिये थी जोकि उनके द्वारा नहीं की गई है ।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी, चुरहट द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 14-08-17 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ वापिस भेजा जाता है कि उपखण्ड अधिकारी उभय-पक्ष को

सूचना भेजकर तथा रिकार्ड का विधिवत परीक्षण कर साक्ष्य एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर विधि संगत आदेश पारित करें ।

23/7/18

(रवीन्द्र कुमार मिश्रा)
सदस्य,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर